>

Title: Regarding the issue of minor forest produce in tribal areas.

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, देश के बीस प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जंगल के इलाके में रहते हैं। जंगल का जो उत्पादन है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि तेंदू पत्ता, महुवा फ्लॉवर, बम्बू और सौ से ज्यादा ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिनका सदियों से ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम था, इसे देखते हुए भारत सरकार वर्ष 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लायी। उसमें वहाँ के आदिवासियों को अधिकार दिया गया है और राज्यों की सरकार द्वारा उस माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलैक्ट करके सेल करके अपना जीविकोपार्जन करने का अधिकार दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट के बाद भी आज तक देश के प्रायः सभी राज्यों में यह अधिकार वहाँ के आदिवासियों को नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और आपके ज़रिये भारत सरकार से निवेदन है कि हर राज्य को दिशा निर्देश दिए जाएँ। खास तौर से बैम्बू और तेन्दु पत्ता को लोगों द्वारा संग्रह करने और ग्राम सभा को परमिट देने से वे लोग इसको कलैक्ट करेंगे और सेल करेंगे। दूसरी बात है कि महुआ का जो फूल है, उस पर हर राज्य में एक्साइज़ डिपार्टमैंट ने कब्ज़ा करके रखा है, वह अपनी आमदनी करता है। उसको फ्री करना चाहिए और फॉरेस्ट राइट्स के तहत उनको अधिकार मिलना चाहिए। तेन्दु पत्ता में काफी राज्यों में काफी इनकम होती है लेकिन उस इनकम का पैसा उन पर खर्च नहीं होता है। इसलिए जितनी भी इनकम होती है, उस पर पूरा का पूरा अधिकार वहाँ के आदिवासियों और वहाँ के लोगों का है ताकि वे उससे अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

मेरा आपसे अनुरोध है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो इनडिविजुअल राइट और कम्युनिटी राइट दिया गया है, इन दोनों चीज़ों को अगर ठीक से लागू किया जाए तो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा जो मिनिरल डिपॉज़िट भी हैं, उन पर भी वहाँ के आदिवासियों का हक होता है। इसलिए जितने पैसे का व्यवसाय राज्य सरकारों ने 2006 के बाद किया है, उसको वहाँ के आदिवासियों के विकास के लिए खर्च करने की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूँ।